

प्रेषक.

अतुल कुमार गुप्ता,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 31 अक्टूबर, 2008

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना का प्रकाशन व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में - विभागाध्यक्ष/निगम/प्राधिकरण आदि स्तर पर।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मेरे पत्र संख्या- 556 / 43-2-2008-15 / 2(3) / 2007 टी0सी0 दिनांक 6 जून, 2008 तथा प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-859 / 43-2-08-15 / 2(3) / 2007 टी0सी0II दिनांक 01 जुलाई, 2008 तथा 898 / 43-2-08-15 / 2(3) / 07, दिनांक 15 जुलाई, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं की विभिन्न 16 श्रेणियों को विशेष रूप से मैन्युअल के रूप में प्रकाशित कर वेबसाइट पर अपलोड किये जाने से सम्बन्धित है।

2- विभागों के अधीन समस्त लोक प्राधिकरणों यथा- निदेशालय/सार्वजनिक निगम/परिषद/प्राधिकरण/संस्थान/स्वायत्तशासी संस्था/शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र की समस्त स्थानीय निकाय/राज्य सरकार से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संस्थाएं आदि द्वारा भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं की विभिन्न निम्नलिखित 16 श्रेणियों को मैन्युअल के रूप में प्रकाशित कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है:-

- (i) अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य
- (ii) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

- (iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं
- (iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान
- (v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
- (vi) ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं
- (vii) किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है
- (viii) बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है
- (ix) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका
- (x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों
- (xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
- (xii) सहायिक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं
- (xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ
- (xiv) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों
- (xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं
- (xvi) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।


3. सूचन में जिन लोक प्राधिकरणों को उक्त सूचनाएं एन0आइ0सी0 द्वारा भारत सरकार की सूचना का अधिकार से सम्बन्धित वेबसाइट (RTI-Portal:- <http://rti.gov.in>) पर अपलोड की गयी थी वह अब इस वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार द्वारा अब RTI-Portal को सीधे राज्य सरकार की वेबसाइट (<http://ungov.nic.in>) से लिंक कर दिया गया है। इस वेबसाइट पर वही सूचनाएं उपलब्ध हैं जो विभाग द्वारा अपनी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गयी हैं। इसी विभागीय वेबसाइट पर विभागों के अधीन समस्त लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं की विभिन्न 16 श्रेणियों को विशेष रूप से मैन्युअल के रूप में प्रकाशित कर अपलोड किया जाता है तथा उक्त सूचनाओं को अध्यापिका भी प्रकाशित करती है।

4. प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं का प्रकाशन तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

5. प्रत्येक लोक प्राधिकरण (Public Authority) को यह भी आशय है कि वे सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। प्रचार-प्रसार इस प्रकार से होना चाहिए कि वह लोगों तक आसानी से पहुँच जाये। ऐसा सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट अथवा किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है। लोक प्राधिकरण को सूचना का प्रचार-प्रसार करते समय जनता के भावनात्मक, स्थानीय भाषा और सम्प्रेषण के प्रभावी तरीकों का ध्यान रखना चाहिए।

अतः इस सम्बन्ध में मुझ आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं का प्रकाशन कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रशासनिक व्यवहार विभाग को 30 नवम्बर, 2008 तक उपलब्ध कराये। प्रत्येक स्तर पर स्थित लोक प्राधिकरणों की सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु एक Flow Chart पत्र के साथ संलग्न है।

सहायक-उपरीक्तानुसार

भवदीय  
  
(अनिल कुमार गुप्ता)  
मुख्य अधिकारी।

अध्या-1155 (1) / 42-2-08-15 / 2(3) / 07 टी0सा0-II तद्दिनाक

प्रतिनाम निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 2- सनसा सचलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त निर्यातिकाधी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,



( जम्ह अम्ह शाहूत )  
विशेष सचिव।

विभागों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 4(1)(b) के अन्तर्गत उल्लिखित १६

श्रेणियों की सूचनायें को अपने वेबसाइट पर अपलोड करायें जाने की निर्धारित प्रक्रिया

## विभागीय वेबसाइट बनवाना

विभागीय वेबसाइट के home page में उसके अधीन समस्त इकाइयों (लोक प्राधिकरणों) का उल्लेख किया जाना।

(शासन स्तर पर स्थित विभाग का यह दायित्व होगा कि वे अपने विभाग व अपने विभाग के अधीन समस्त लोक प्राधिकरणों की सूचना जो वेबसाइट पर किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो सकी है, उसे वेबसाइट पर अपलोड करवायें और यदि उनके नियंत्रणाधीन किसी भी इकाई का अलग वेबसाइट बना हुआ है तो विभागीय वेबसाइट से उसे लिंक करवायें )

उक्त विभाग की सबसे निम्नतम इकाई

ब्लॉक स्तर की इकाई (यदि कोई हो)

तहसील स्तर की इकाई (यदि कोई हो)

जिला स्तर की इकाई (यदि कोई हो)

मण्डल स्तर की इकाई (यदि कोई हो)

जोनल स्तर की इकाई (यदि कोई हो)

मुख्यालय

शासन

अपलोड प्रमाण पत्र प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायें।

(प्रत्येक इकाई के जन सूचना अधिकारी/वेब मास्टर का यह दायित्व होगा कि अपनी इकाई से संबंधित 4(1)(b) की अद्यावधिक सूचना विभागीय वेबसाइट में संबंधित इकाई के page पर अपलोड करायें और यदि किसी कारणवश सूचना अपलोड नहीं हो पा रही है, तो समस्त सूचना कम्प्यूटर पर टाइप कराकर उसको सी०डी० में कापी कर उच्च स्तर को प्रेषित करें। उससे उच्च स्तर की इकाई उसी सी०डी० में अपनी सूचना संकलित कर अपने से उच्च स्तर को प्रेषित करेगी। किसी भी स्तर तक अपलोड की सूचना अपने से उच्चतम इकाई को दें)